निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं.:- 33/14 दावा
दायरा दिनांक:- 5.5.2014
निर्णय दिनांक:- 17.12.21

उनवान

गोपाल मन्त्री पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवास तलावपाडा तह. बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88,89,90, RTA

निर्णय दिनांक:- 17.12.21

उपस्थित अभिभाषक:- 1. मदनलाल गालव
2 श्री योगेश गुर्जर] - वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90 RTA विरूद्ध प्रति वादी गण के न्याया. मे इस आशय का पेश किया गया कि वादी के खातेदारी एवं काबिज की आराजी वाके ग्राम तलावपाडा तह. बारां मे स्थित है जिसके पुराने ख.नं. 82/288 रकबा 48.18 बीघा, थे जिसकी नकल जमाबंदी सम्वत 2030-33 मे इसका वर्णन है जिसके सेटलमेन्ट के बाद वर्तमान ख.नं. 98 रकबा 7.45 हे. कायम किये गये है जिसकी संलग्न है वादी की आराजी ख.नं. 82/288 रकबा 48.18 बीघा के सेटलमेन्ट के बाद नये हे. मे 7.45 हे. बनाये गये है तथा नया ख.नं. 98 दर्ज किया गया है जबकि वास्तव मे ख.नं. 82/288 का रकबा 48.18 बीघा का हे. बनाने पर 7.82 है बनता है जो सहवन से विभागीय कर्मचारियों की भूल वश ख.नं. 98 रकबा 7.45 है दर्ज किया

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

गया है जो राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल वश हुआ है बावजूद के वादी की आराजी खसरा रकबा 7.82 हे. होता है तथा इतने रकबे पर ही वादी काबिज है वादी की आराजी के रकबे मे 0.37 हे. की कमी की गई है जो कर्मचारियों की भूल वश हुई है जिसे वादी दुरस्त करवाकर खसरा नम्बर 98 रकबा 7.45 है के स्थान पर रकबा 7.82 हे. दर्ज कराने का अधिकारी है वादी राजस्व रिकार्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त कराने बाबत घोषणा कराने व दुरस्त कराने का अधिकारी है वादी द्वारा अपनी आराजी मे हुई रकबे की कमी को दुरस्त कराने का आग्रह किया तो उन्होने दुरस्ती नहीं करते है यह कहकर इन्कार किया कि इसके लिए आपको मान. न्याया. मे वाद पेश कर आदेश लाना पडेगा उसके बाद ही दुरस्ती हो पायेगी तत्पश्चात राज्य सरकार को 80 CPC का नोटिस दिया इस कारण मान. न्याया. मे वाद पेश करने का [illegible] वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है

वादी का वाद दर्ज रजि. कर प्रति वादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति वादी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम तलावडा सम्वत 2066-69 खाता नं. 16, नकल जमाबन्दी ग्राम तलावडा सम्वत 2030-33, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम तलावडा सम्वत 2038-56, पेश किया गया। साथ ही वादी ने गोपाल [illegible] का शपथ पत्र पेश किया।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई:-

<u>तनकी नं. 1</u> आया वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजी वादी के खातेदारी एवं काबिज की आराजी है

वादी

<u>तनकी नं. 2</u> आया वाद पत्र की मद नं. 1 मे वर्णित आराजी के रेकार्ड के बाद नं. ख.नं. 98 रकबा 7.45 हे. कायम हुए जबकि रकबा 7.82 हे बनता है तथा इतने ही रकबे पर वादी काबिज है तथा इस त्रुटि को दुरस्त करा पाने का अधिकारी एवं हकदार है

वादी

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

7	फीस कमीशनर			
8	अन्य/क्षतिपूर्ति			
9	ब्याज (%)			
	योग			

Scanned with CamScanner

तनकीह नं. 3 आया कि वादी रकबा किस किस नम्बर का कितना कितना रकबा कम किया गया है तथा किस खाते के मिलाया गया है सिद्ध करने का दायित्व वादी का है
भार वादी

तनकीह नं. 4 आया वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने से काबिल खारिज है
भार वादी

तनकीह नं. 5 अनुतोष

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम तलावड़ा तह० बारां में स्थित है। विवादित आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व 48.18 बीघा वादी के खातेदारी में दर्ज थी। परन्तु सेटलमेन्ट के बाद वादी की भूमि का रकबा 7.82 हेक्टेयर के स्थान पर 7.45 हे० दर्ज कर दिया है अतः वादी दुरुस्ती कराने का अधिकारी है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है मौके पर वादी का रकबा पूरा है परन्तु सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा वादी का रकबा कम कर दिया है। वादी का सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा है परन्तु रिकार्ड में रकबा कम कर दिया है जिसे दुरुस्त कराने के अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। वादी का वाद तनकीह वार विवेचन निम्नानुसार किया जाता है:-

तनकीह नं. 1 इस तनकीह को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम तलावड़ा संवत 2066-69 के अनुसार विवादित आराजी वादी के खातेदारी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है अतः यह तनकीह वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकीह नं. 2 इस तनकीह को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम तलावड़ा संवत 2066-69 के अनुसार विवादित आराजी ख०नं० 98 रकबा 7.45 हे० दर्ज है नकल जमाबंदी संवत 2030-33 के अनुसार ख०नं० 82/288 रकबा 48.18 बीघा दर्ज रिकार्ड था। नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2038-57 के अनुसार ~~खसरे~~ साबिक ख०नं० 82/288 कि का नया ख०नं० 98 रकबा 7.45 हे० एवं 117 रकबा 1.56 हे० दर्ज है परन्तु मिलान क्षेत्रफल से यह नहीं पता लगता है कि साबिक ख०नं० 82/288 कि

लगातार - 4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

का कुल रकबा कितना था अंकित नहीं है, वादी द्वारा सम्पूर्ण नकलें पेश नहीं की है जिससे रकबा का यह पता नहीं लग सकता कि किस ख.नं. का कितना रकबा था कि ख.नं. 82/288 के साथ ख.नं. 98 व 117 बनाये गये है परन्तु तरमीम ख.नं. का क्षेत्रफल अंकित नहीं होने के कारण रकबा का पता नहीं लगाया जा सकता है। वादी द्वारा सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त कराने के लिए धारा 88, 89, 90 RTA में वाद पत्र प्रस्तुत किया है जबकि सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने के लिए धारा 136 LR act में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते है अतः यह तनकीह वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है

<u>तनकीह नं. 3</u> उक्त तनकीह को साबित करने का भार प्रार्थी वादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने बयान में वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड पेश नहीं करना बताया है वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से यह नहीं बताया जा सकता है कि किस तरमीम ख.नं. का कितना रकबा था ~~[illegible]~~ ~~किश्तवार केवल~~ में रकबा अंकित नहीं है यह साबित करने का दायित्व वादी का था अतः यह तनकीह प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकीह नं. 4</u> उक्त तनकीह को साबित करने का भार प्रार्थी वादी पर था प्रतिवादी द्वारा अपने बयान में बताया कि वादी द्वारा पर्याप्त रिकार्ड नहीं पेश किया है वाद पत्र अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने से वादी का वाद काबिल खारिजी है वादी द्वारा वाद पत्र धारा 88, 89, 90 RTA में पेश किया है जबकि सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती को दुरूस्त कराने के लिए धारा 136 LR act के तहत प्रार्थना प्रस्तुत कर गलती को दुरूस्त करा सकते है वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 136 LR act में प्रस्तुत न कर धारा 88, 89, 90 RTA में वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है अतः यह तनकीह प्रतिवादी ~~वादी~~ के पक्ष में निर्णित की जाती है

उपरोक्त विश्लेषण एवं तनकीहात के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपूर्ण वाद पत्र एवं अस्पष्ट वाद पत्र प्रस्तुत किया है वादी द्वारा पूर्ण राजस्व रिकार्ड पेश नहीं किया है और वादी द्वारा सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 136 LR act पेश

उपखण्ड अधिकारी
बारां

लगातार -5

7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का वाद पत्र धारा 88.09.90 तक नहीं अतः प्रार्थी या वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ
उप खण्ड अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

[illegible]संख्या 83/14	धारा अंतर्गत 88, 89, 90, RTA	निर्णय दिनांक 17.12.21
समक्ष - श्री हिमांशु शर्मा आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी 1 श्री मदनलाल जालप 2 श्री [illegible] गुर्जर		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

गोपाल पुत्र पुत्र ब्रजमोहन जाति महाजन निवासी तालाबपाड़ा तह० बारां

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 17.12.21 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9	ब्याज (%)		
	योग		

Scanned with CamScanner